न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/245

जगन्नाथी बाई पत्नी श्री राधेश्या मजी पुत्री श्री नन्दलाल जी जाति लुहार निवासी ग्राम कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मथुरा लाल आत्मज श्री अमरलाल जाति लुहार निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी 2–सी– 18 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा ।
2. श्रीमती चन्द्रकान्ता पुत्री श्री अमरलाल जी ।
3. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री श्री अमरलाल जाति लुहार निवासी डूंगरज्या हाल निवासी 2–सी–18 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम –1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 18.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र संख्या 15/09 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाना श्री नन्दा जी के खाते में ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद में कृषि भूमि नये खसरा नम्बर की कुल 03 किता की 0.59 हैक्टर एवं ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद में खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 281 की 0.89 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि नन्दा जी की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी की नानी मोत्या बाई व नन्दा जी के दोनों पुत्रियॉ गोबरी बाई व जगन्नाथी बाई के नाम दर्ज की गई । मुस0 मोत्या बेवा नन्दा की मृत्यु हो चुकी है । प्रार्थी के नाना के प्रतिवादिनी क्रम 1 व 2 पुत्रियॉ हैं तथा प्रार्थी के नाना नन्दा जी के कोई पुत्र नहीं है । प्रार्थी के नाना ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी को ही अपना वारिस बनाया तथा नन्दा जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मोत्या बाई ने प्रार्थी के हक में उक्त दोनों गॉवों की आराजी के बाबत् वसीयत आलेखित कर दी । नन्दा जी एवं मोत्या बाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थी के खाते दर्ज होनी चाहिए किन्तु नन्दा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण ने अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि में प्रतिपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण के नाम खाते में दर्ज होने से उनके मन में बदनियती आ गई है और वे प्रार्थी की भूमि को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । यदि दौराने वाद प्रतिपक्षीगण ने उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द व बेचान कर दिया जो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और उसका वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहं करे, उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द एवं बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिपक्षीगण स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 36 ए/2011 प्रार्थी अपीलान्ट जगन्नाथी बाई ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् रिसीवर नियुक्त करने का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को प्रार्थी मथुरा लाल हडपना चाहते हैं। प्रार्थी को उनके पिता ने कभी गोद नहीं लिया था और न ही वे उनके उत्तराधिकारी हैं । अतः वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, दीगोद को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए अपने आदेश दिनांक 23.03.2012 के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 36ए/2011 खारिज करते हुए प्रार्थना संख्या 15/09 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी क्रम 02 जगन्नाथी बाई ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट 1/2 हिस्से की खातेदार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में कदीमी समय से चली आ रही है जिसके इंतकाल को आज दिन तक रेस्पोडेन्ट द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है । अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद 1/3 हिस्से में अपीलान्ट का इंतकाल तस्दीक किया गया तथा 1/3 हिस्सा माता मोत्या बाई 1/3 हिस्सा बहिन गोबरी बाई के नाम तस्दीक किया गया और माता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट 1/2 हिस्से की खातेदार बनी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के 1/2 हिस्से पर रिसीवर नियुक्त नहीं करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायाल यद्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है । इस इंतकाल को रेस्पोडेन्ट के द्वारा कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है । अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद 1/3 हिस्से में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया 1/3 हिस्से में माता मोत्या बाई, 1/3 हिस्से में गोबरी बाई का नाम तस्दीक किया गया । माता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट 1/2 हिस्से की खातेदार बनी । रेस्पोडेन्ट, अपीलान्ट के महिला एवं कमजोर होने के कारण अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे हैं इस कारण रिसीवर नियुक्त करने की प्रार्थना की थी जिसे खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में है । धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय में दोनों प्रार्थना पत्रों का एक साथ निस्तारण किया गया है और अपील एक ही प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है । दूसरे निर्णय के खिलाफ अपील पेश नहीं की गई है । रिसीवर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र मिसल संख्या 36ए के माध्यम से पेश किया गया है जिसे खारिज किया गया है और अपील एक ही प्रकरण संख्या 36ए/11 की गई है । मिसल संख्या 15/09 के प्रकरण की कोई अपील नहीं की गई है । 36ए/1 रिसीवर की नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र नहीं था । रिसीवर कठोरतम व्याधि होता है और काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर की नियुक्ति नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादग्रस्त आराजी को रहन एवं बेचान नहीं करने हेतु

पाबन्द किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.03.2012 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2009 पेज 182, 2010 आरबीजे (17) पेज 178, 2011 आरआरडी पेज 601, 1995 (2) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 528 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिपक्षी जगन्नाथी बाई ने रिसीवर नियुक्त करने के लिए पेश कया है । एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थिनी द्वारा पेश नियुक्त किये जाने रिसीवर को खारिज किया है और प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 37 के अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 03 किता की 0.59 हैक्टर गोबरी बाई और जगन्नाथी के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2057–60 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 59 की खसरा नम्बर 281 की रकबा 0.81 हैक्टर भूमि मोत्या बेवा नन्दा, गोबरी, जगन्नाथी पुत्रियॉ नन्दा के संयुक्त खाते में दर्ज है । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वादग्रस्त आराजी नन्दा के खाते से उनकी दोनों पुत्रियों गोबरी बाई एवं जगन्नाथी के खाते में दर्ज हुई थी जिनमें से गोबरी बाई की मृत्यु हो चुकी है और गोबरी बाई के मथुरा लाल पुत्र हैं । मथुरा लाल प्रार्थी का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी का उनके नाना ने उनको अपना वारिस बनाया था इस कारण सम्पूर्ण आराजी उनके खाते में दर्ज होनी चाहिए जबकि राजस्व रिकॉर्ड में जगन्नाथी बाई का नन्दा की पुत्री होने के नाते वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है ।

13. पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होंगे इस स्टेज पर नहीं परन्तु इस स्टेज पर जगन्नाथी बाई वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की सहखातेदार हैं और उनका यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट मथुरा लाल उनके हिस्से की आराजी में उनको काश्त नहीं करने देते हैं । अतः वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

14. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट मथुरा लाल ने भी अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं और पक्षकारान को विक्रय एवं रहन नहीं करने हेतु पाबन्द किया है । जगन्नाथी बाई वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की सहखातेदार दर्ज है और रेस्पोडेन्ट मथुरा लाल का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है । ऐसी स्थिति में धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हम वादग्रस्त आराजी में जगन्नाथी बाई के निहित 1/2 हिस्से के लिए धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नगद प्रतिभूति राशि का आदेश पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थी मथुरा लाल के प्रार्थना पत्र संख्या 15/09 में पारित निर्णय वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान नहीं करने बाबत् आदेश को यथावत रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट जगन्नाथी बाई के 1/2 हिस्से पर यदि मथुरा लाल काश्त करना चाहते हैं तो 4000/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से नगद प्रतिभूति राशि तहसीलदार, दीगोद के समक्ष दिनांक 30 जून तक जमा करवा कर काश्त कर सकते हैं । यदि मथुरा लाल नियत तिथि तक नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने में असफल रहते हैं तो जगन्नाथी बाई के 1/2 हिस्से को तहसीलदार दीगोद अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार काश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

16. निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा